



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35807

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2377 वर्ष 2026

यशवीर सिंह एवं 32 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता	: आदित्य प्रकाश वर्मा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने न्यायालय में यह कथन किया कि वे प्राप्त निर्देशों से पूर्णतः अवगत हैं तथा मामले में बहस करने में सक्षम हैं। वे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और याचिका को अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निस्तारित किए जाने का अनुरोध करते हैं। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निस्तारण इस चरण पर किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्तागण का मामला यह है कि वे भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनका विवरण याचिका के पैरा 9 में दिया गया है, जिसे निम्नवत उद्धृत किया गया है:-

“9. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का नामांकन सेना में दिनांक 26.10.1988 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.11.2018 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 2 का नामांकन सेना में दिनांक 20.01.2003 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.01.2020 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 3 का नामांकन सेना में दिनांक 12.12.2000 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 28.02.2019 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता संख्या 4 का नामांकन सेना में दिनांक 10.07.2003 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.07.2020 को सिपाही ए.सी.पी.-II पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 5 का नामांकन सेना में दिनांक 01.12.2003 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.10.2019 को नायक पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 6 का नामांकन सेना में दिनांक 15.11.1999 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.11.2017 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 7 का नामांकन सेना में दिनांक 30.03.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.03.2019 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 8 का नामांकन सेना में दिनांक 24.02.1998 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.04.2017 को नायक ए.सी.पी.-I पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 9 का नामांकन सेना में दिनांक 22.02.2022 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.12.2018 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 10 का नामांकन सेना में दिनांक 13.05.2003 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.09.2019 को नायक पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 11 का नामांकन सेना में दिनांक 23.11.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.11.2019 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 12 का नामांकन सेना में दिनांक 03.08.2001 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.08.2018 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 13 का नामांकन सेना में दिनांक 20.01.1999 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.03.2016 को नायक पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 14 का नामांकन सेना में दिनांक 01.12.2003 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.08.2019 को नायक पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 15 का नामांकन सेना में दिनांक 02.01.2000 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.07.2018 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 16 का नामांकन सेना में दिनांक 16.03.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.03.2018 को नायक पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 17 का नामांकन सेना में दिनांक 19.02.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 28.02.2021 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 18 का नामांकन सेना में दिनांक 24.02.1997 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 29.02.2016 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 19 का नामांकन सेना में दिनांक 08.12.1999 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.04.2018 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 20 का नामांकन सेना में दिनांक 17.01.2001 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.07.2018 को नायक पद से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 21 का नामांकन सेना में दिनांक 28.04.1997 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.07.2017 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 22 का नामांकन सेना में दिनांक 27.06.1997 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.06.2021 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 23 का नामांकन सेना में दिनांक 29.12.1999 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 28.02.2018 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 24 का नामांकन सेना में दिनांक 04.04.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.08.2018 को नायक पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 25 का नामांकन सेना में दिनांक 21.07.2003 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.07.2020 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 26 का नामांकन सेना में दिनांक 07.01.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.01.2019 को सिपाही ए.सी.पी.-II पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 27 का नामांकन सेना में दिनांक 05.07.1999 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 28.02.2019 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 28 का नामांकन सेना में दिनांक 12.02.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.08.2018 को नायक पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 29 का नामांकन सेना में दिनांक 11.11.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 30.11.2017 को सिपाही ए.सी.पी.-I पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 30 का नामांकन सेना में दिनांक 21.02.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 28.02.2019 को सिपाही ए.सी.पी.-II पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 31 का नामांकन सेना में दिनांक 05.07.1999 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.03.2019 को हवलदार पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 32 का नामांकन सेना में दिनांक 10.01.2002 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.01.2019 को सिपाही पद से सेवा से मुक्त किया गया; याचिकाकर्ता संख्या 33 का नामांकन सेना में दिनांक 13.03.2001 को हुआ था तथा उन्हें दिनांक 31.10.2018 को नायक ए.सी.पी.-I पद से सेवा से मुक्त किया गया। याचिकाकर्ताओं की सेना में पूर्व सेवा संबंधी अभिलेखों की प्रतियाँ इस याचिका के साथ संलग्न की जा रही हैं तथा उन्हें अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में चिन्हित किया जाता है।”

4. याचिकाकर्तागण के अनुसार उन्होंने अक्टूबर, 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। चयन परीक्षा के उपरांत मार्च, 2020 में चयन सूची प्रकाशित की गई तथा उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। परंतु वर्तमान में उनकी पूर्व

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सेना सेवा के आधार पर वेतन संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसका आधार दिनांक 23.12.2020 का सरकारी आदेश बताया जा रहा है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के निर्णय रिट-ए संख्या 10689 वर्ष 2024 (सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) पर भरोसा करते हैं, जिसमें सरकारी आदेश दिनांक 23.12.2020 में निर्धारित कट-ऑफ तिथि के आधार पर किए गए वर्गीकरण को अस्वीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अंतर्वर्ती अपील संख्या 1233 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य) में भी राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी गई है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव, निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान प्रकरण सीता राम शर्मा (उपर्युक्त) के निर्णय द्वारा आच्छादित है, जिसे विशेष अपीलीय पीठ द्वारा भी पुष्टि प्रदान की गई है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात।

7. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्तागण भूतपूर्व सैनिक हैं तथा उन्हें चयनित किया गया है। सीता राम शर्मा (उपर्युक्त) में यह प्रतिपादित किया गया है:-

“1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर उपर्युक्त रिट याचिकाओं द्वारा याचिकाकर्ता, जिन्हें वर्ष 2018 की उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस भर्ती में कांस्टेबल (जीडी) के पद पर चयनित किया गया था, प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए उस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से व्यथित हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें भूतपूर्व सेना कर्मियों के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन के संदर्भ में वेतन संरक्षण (pay protection) का लाभ प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में चयनित एवं नियुक्त हुए थे तथा यदि एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु चार विभिन्न बैचों में विभिन्न समय पर भेजा गया, तो राज्य द्वारा प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को वेतन संरक्षण का लाभ देना तथा शेष बैचों को केवल इस आधार पर उससे वंचित करना कि बाद में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रभावी हुए सरकारी आदेश के कारण भूतपूर्व सैनिकों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा, विधिसम्मत नहीं है।

3. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चयन उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना अपेक्षित था, किंतु उस समय कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिनांक 25.07.2020 के आदेश के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चार बैचों में विभाजित कर विभिन्न तिथियों एवं अवधियों में प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया। प्रथम बैच को अगस्त, 2020 में छह माह की अवधि हेतु प्रशिक्षण पर भेजा गया, द्वितीय बैच को मार्च, 2021 में छह माह हेतु, तृतीय बैच को अक्टूबर, 2021 में छह माह हेतु तथा अंतिम एवं चतुर्थ बैच को मई, 2022 में छह माह की अवधि हेतु प्रशिक्षण पर भेजा गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें द्वितीय बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जो मार्च, 2021 से प्रारम्भ होकर सितंबर, 2021 तक छह माह तक चला। जबकि प्रथम बैच का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उनके संबंध में नियुक्ति आदेश उस समय जारी कर दिए गए थे जब दिनांक 23.12.2020 का सरकारी आदेश अस्तित्व में आया, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसके पश्चात भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त सरकारी आदेश में यह भी प्रावधान किया गया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त सरकारी आदेश का प्रासंगिक भाग अनुच्छेद 22 में उद्धृत है, जो निम्नवत् है—

“उपयुक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्नियोजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय (ignored) है, का वेतन पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय (ignored) नहीं है, उनमें पुनर्नियोजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के क्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु— (i) यदि पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान में ऐसा क्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त क्रम के ठीक नीचे वाले क्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(iii) यदि पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अंतिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्नियोजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय (ignored) नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त पाये वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनः उद्घाटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।”

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम बैच द्वारा प्रशिक्षण जनवरी, 2021 में पूर्ण किए जाने के उपरांत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था। उदाहरण स्वरूप, नवनियुक्त आरक्षी कुलदीप सिंह, पी.एन.ओ. संख्या 202641386, दिनांक 24.01.2024 का वेतन निर्धारण अभिलेख में प्रस्तुत किया गया है। यह भी तर्क किया गया कि प्रथम बैच को लाभ प्रदान किए जाने के पश्चात द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बैच के अभ्यर्थियों, जो कि भूतपूर्व सैनिक भी थे, को उक्त लाभ से वंचित रखा गया।

6. उपरोक्त अभिवचन याचिका के पैरा 14 में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें विभिन्न अन्य आरक्षियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था। प्रतिशपथपत्र में पैरा 14 के उत्तर में पैरा 16 में निम्नवत कथन किया गया है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“याचिका के पैरा संख्या 14 की विषय-वस्तु उस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि आरक्षी कुलदीप सिंह, पी.एन.ओ. संख्या 202641386 की पुलिस विभाग में नियुक्ति के समय दिनांक 11.10.2020 को सरकारी आदेश दिनांक 26.08.1977 एवं 18.05.1983 प्रभावी थे, जबकि वर्तमान में भूतपूर्व सैनिकों की राज्य सरकार की सेवाओं में पुनर्नियुक्ति हेतु सरकारी आदेश दिनांक 23.12.2020 प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा अर्थात् जिन भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति राज्य सरकार की सेवाओं में उक्त आदेश की तिथि के पश्चात हुई है, उन पर यह आदेश लागू होगा।”

7. उपर्युक्त प्रतिशपथपत्र के पैरा 14 के अभिवचनों के सादे पठन से यह स्पष्ट होता है कि कुलदीप सिंह, यद्यपि प्रथम बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए थे, तथापि उनकी नियुक्ति दिनांक 11.10.2020 को हुई थी, जब सरकारी आदेश दिनांक 26.08.1977 एवं 18.05.1983 प्रभावी थे, और इसी कारण उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। परंतु दिनांक 23.12.2020 के सरकारी आदेश के प्रवर्तन के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में यह निर्धारित किया गया कि उन्हें पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए वर्तमान याचिकाकर्तागण को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया। अतः यह तथ्य स्वीकृत है कि याचिकाकर्तागण को केवल इस आधार पर वेतन संरक्षण से वंचित किया गया कि उनका प्रशिक्षण प्रथम बैच के पश्चात पूर्ण हुआ, यद्यपि वे भी चयन एवं भर्ती वर्ष 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अन्य अभ्यर्थियों के समान ही थे। इस प्रकार सभी नियुक्त अभ्यर्थी एक ही चयन प्रक्रिया से चयनित होकर आरक्षी बने हैं और समान वेतन समानता (pay parity) का दावा कर रहे हैं।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा सरकारी आदेश के आधार पर वेतन संरक्षण से वंचित किए जाने के पक्ष का बचाव करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्रसाद, (2022) 5 एस.सी.सी. 461 पर भरोसा किया गया है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण न दिए जाने संबंधी केंद्रीय नियमों को विधिसंगत ठहराया गया है। यह निवेदन किया गया कि सरकार की कार्रवाई में कोई त्रुटि, मनमानी अथवा अवैधता नहीं पाई जा सकती। विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय के पैरा 5.4 पर विशेष भरोसा किया गया है, जो निम्नवत है:-

“5.4 अतः सरकारी सेवा में प्रत्यर्थी का वेतन निर्धारण सी.सी.एस. आदेश 1986 के पैरा 8 के पूर्णतः अनुरूप था। पैरा 8 यह प्रावधान नहीं करता कि पुनर्नियुक्ति पर भूतपूर्व सशस्त्र बल कर्मी को उसकी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंतिम आहरित वेतन के समान वेतन निर्धारित किया जाएगा। ऐसा करना सी.सी.एस. आदेश के पैरा 8 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर गंभीर त्रुटि की है कि पुनर्नियुक्त भूतपूर्व सैनिक को उसकी अंतिम आहरित वेतन के बराबर वेतन पाने का अधिकार होगा। अतः उच्च न्यायालय का निर्णय सी.सी.एस. आदेश 1986 के विरुद्ध होने के कारण विधिसंगत नहीं है।”

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात यह प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिका में मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के समय वेतन संरक्षण न दिए जाने के संबंध में सरकारी आदेश के प्रावधानों की वैधता से अधिक, याचिकाकर्तागण के साथ की गई भेदभावपूर्ण कार्यवाही को चुनौती दी गई है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2024 0 एस.सी. 764 के निर्णय पर विशेष बल दिया गया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मात्र इस आधार पर कि काउंसलिंग आयोजित नहीं हो सकी और विलंबित हो गई, समान एवं समरूप रूप से स्थित अभ्यर्थियों, जो एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित हुए थे, के मध्य भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने उक्त निर्णय के पैरा 15 पर भरोसा किया है, जो निम्नवत् है:-

अपीलार्थी का प्रकरण राकेश गौड़ (उपर्युक्त) के मामले के अधिक समान था, जिन्होंने दिनांक 05.11.2009 को प्रवेश लिया था। हम इस मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर स्पष्ट मत रखते हैं कि खण्डपीठ द्वारा दिनेश चन्द्र डामोर (उपर्युक्त) के मामले को लागू करने में त्रुटि की गई है, जबकि उसे अंकुल सिंगल (उपर्युक्त) तथा राकेश गौड़ (उपर्युक्त) के निर्णयों में प्रतिपादित विधिक तर्क को इस मामले के तथ्यों पर लागू करना चाहिए था। जैसा कि अंकुल सिंगल (उपर्युक्त) में कहा गया है, एक समरूप वर्ग के विद्यार्थियों के बीच, जो शैक्षणिक सत्र 2009-10 में प्रवेशित हुए हों, उनके मध्य भेदभाव करना विधि की दृष्टि से अनुचित है। वहाँ यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह स्वीकार्य नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के प्रथम चरण में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को, भले ही उनके स्नातक में 50% से कम अंक हों, पात्र माना जाए, जबकि उसी चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों में प्रवेश पाने वाले अन्य विद्यार्थियों को अपात्र घोषित कर दिया जाए। इसी तर्क के आधार पर राकेश गौड़ (उपर्युक्त) को राहत प्रदान की गई थी। राकेश गौड़ (उपर्युक्त) का मामला अपीलार्थी के मामले के समान ही स्थिति में था। “जो व्यवहार एक पक्ष के साथ किया जाता है, वही दूसरे समान स्थिति वाले पक्ष के साथ भी किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाना चाहिए”—यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

11. अतः इस याचिका में इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों, जिन्हें प्रशिक्षण हेतु विभिन्न समय पर भेजा गया, में से उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें बाद के चरण में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, पूर्व चरण में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को दिए गए वेतन संरक्षण से वंचित किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण चार विभिन्न बैचों में आयोजित किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तथ्य का कोई खंडन नहीं किया गया है कि सभी याचिकाकर्ता, जिन्हें द्वितीय बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, उसी चयन प्रक्रिया एवं समान विज्ञापन के अंतर्गत आरक्षी (जीडी), उ०प्र० पुलिस के पद पर चयनित हुए थे। प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा चयन सूची के अंतिम प्रकाशन एवं अनुमोदन के पश्चात ही प्रशिक्षण चरण प्रारम्भ होता है। इस प्रकार चयन प्रक्रिया की कोई पृथक अवस्था शेष नहीं रहती, सिवाय इसके कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजकर नियुक्ति प्रदान की जाए। अतः यह नियुक्ति प्रक्रिया का ही अंग एवं अनिवार्य चरण है। इस प्रकार न्यायालय की सुविचारित राय में, यदि प्रशासनिक कारणों से अभ्यर्थियों को विभिन्न समूहों/बैचों में प्रशिक्षण हेतु भेजने का निर्णय लिया गया हो और सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर नियुक्ति प्रदान की गई हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों के मध्य वेतनमान, भत्तों एवं अन्य सेवानुग्रहों के संबंध में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहां तक कि वरिष्ठता का निर्धारण भी चयन सूची के अनुसार ही होगा। मणिलाल (उपर्युक्त) का निर्णय स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं के मामले को पूर्णतः आच्छादित करता है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि समरूप वर्ग के व्यक्तियों के मध्य भेदभाव अनुमन्य नहीं है। अतः एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थी एक समरूप वर्ग का निर्माण करते हैं तथा प्रशिक्षण केवल नियुक्ति का परिणामस्वरूप चरण है, जिसके दौरान अयोग्यता पाए जाने पर ही अपवाद संभव है। अतः एक बार समरूप वर्ग को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने पर सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है।

12. प्रशिक्षण हेतु बैच अथवा समूह के आधार पर की गई कोई भी वर्गीकरण व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी, क्योंकि यह युक्तियुक्त वर्गीकरण नहीं माना जा सकता। समान रूप से स्थित कर्मचारियों के मध्य भेदभावपूर्ण व्यवहार असंवैधानिक होगा। समानता का स्थापित सिद्धांत यह है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि असमानों को समान नहीं और समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, विशेषकर वेतन, भत्ते एवं सेवा लाभों के संदर्भ में।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2011) 2 यू.पी.एल.बी.ई.सी. 987 के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी की त्रुटि या विलंब के कारण अभ्यर्थियों को हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। यद्यपि उक्त प्रकरण नियमितीकरण से संबंधित था, तथापि उसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि समान चयन प्रक्रिया के अभ्यर्थियों को एक समरूप वर्ग मानते हुए समान लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत को महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट-ए संख्या 55606 वर्ष 2008), दिनांक 19.12.2019 में भी अपनाया गया, जिसमें पुराने पेंशन लाभ का विस्तार किया गया क्योंकि चयन विज्ञापन पुरानी पेंशन योजना के समाप्त होने से पूर्व प्रकाशित हुआ था, यद्यपि नियुक्ति आदेश बाद में जारी हुए।

14. उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जहाँ तक पूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण से वंचित करने वाले सरकारी आदेश का प्रश्न है, उसमें कोई अवैधता या असंवैधानिकता नहीं पाई जाती, तथापि उसका अनुप्रयोग केवल उन्हीं मामलों पर होगा जहाँ चयन उक्त आदेश के पश्चात हुआ हो। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और जिनकी नियुक्ति अंततः की जानी है, एक समरूप वर्ग का निर्माण करते हैं तथा उन्हें समान रूप से सभी सेवा लाभ, जिसमें वेतन संरक्षण भी सम्मिलित है, प्रदान किया जाना चाहिए और उनका दावा उक्त सरकारी आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

15. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय के संबंध में, इस न्यायालय को उसमें प्रतिपादित विधि से कोई असहमति नहीं है, क्योंकि मैं भी इस सिद्धांत से सहमत हूँ कि सामान्य परिस्थितियों में उक्त सरकारी आदेश को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता।

16. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, याचिका स्वीकार की जाती है तथा अनुमति प्रदान की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं को वही अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती, 2018 के अंतर्गत प्रथम बैच के प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया गया है। इस संबंध में समुचित आदेश पारित किया जाएगा तथा परिणामी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लाभ याचिकाकर्ताओं को अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रमाणित आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से प्रदान किया जाएगा।

8. पुनः उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य (उपर्युक्त) में निम्नवत् प्रतिपादित किया गया है:-

1. अपीलकर्ताओं की ओर से श्री मनीष गोयल, विद्वान अपर महाधिवक्ता, जिन्हें श्री तेज भानु पांडे, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई, एवं प्रत्यर्थियों की ओर से श्री आर.के. ओझा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री सत्येन्द्र चन्द्र त्रिपाठी एवं श्री आदित्य प्रकाश वर्मा द्वारा सहायता प्रदान की गई, को सुना गया।

2. इन समस्त अपीलों को एक ही सामान्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.04.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो कि संबंधित रिट याचिकाओं के साथ-साथ रिट-ए संख्या 10689/2024 सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य के साथ निर्णीत की गई थीं, जिसके अंतर्गत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा याचिकाएँ स्वीकार करते हुए अपीलार्थी संख्या 3 को यह निर्देशित किया गया कि वह याचिकाकर्ताओं को वही अंतिम वेतन संरक्षण प्रदान करे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती, 2018 के अंतर्गत प्रथम बैच के प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया गया था तथा इसके संबंध में उपयुक्त आदेश पारित कर अधिकतम 30 दिनों के भीतर परिणामी लाभ प्रदान किया जाए।

3. राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा सभी अपीलों में समान विधिक प्रश्न उठाया गया है, अतः इन्हें एक साथ सुना गया तथा एक ही सामान्य आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की तिथि तथा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के आधार पर भिन्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक अपील में अभ्यर्थियों के सेवा विवरण, नियुक्ति तिथि तथा प्रशिक्षण अवधि भिन्न-भिन्न हो सकती है।

4. सुविधा की दृष्टि से तथ्यों को विशेष अपील संख्या 1240/2025 से लिया गया है, क्योंकि वही विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 09.04.2025 के निर्णय का आधारभूत मामला था, तथापि इस सामान्य आदेश का प्रभाव सभी संबंधित मामलों पर समान रूप से लागू होगा। केवल तथ्यात्मक अंतर विभिन्न अपीलों में प्रत्यर्थियों/अभ्यर्थियों की संख्या का है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इन संयुक्त विशेष अपीलों के अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सभी प्रत्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्य रहे हैं, जिन्हें विभिन्न समय पर विभिन्न रेजिमेंट्स में नियुक्त किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रत्यर्थी ने अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्ति प्राप्त की। यद्यपि उनकी सेवा अवधि में भिन्नता रही, तथापि समान तथ्य यह है कि सभी प्रत्यर्थियों ने सैन्य सेवा पूर्ण कर विधिवत चयन प्रक्रिया के पश्चात उसी चयन सूची में स्थान प्राप्त किया, जो इन अपीलों का विषय है।

6. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने राज्य की ओर से प्रस्तुत करते हुए कहा कि अक्टूबर, 2018 की सीधी भर्ती के अंतर्गत तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करती, क्योंकि प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधों के कारण राज्य द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण चरणबद्ध रूप से करना आवश्यक हो गया था, अतः नियुक्ति पत्र भी प्रशिक्षण चरणों के अनुसार विभिन्न तिथियों पर जारी किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के आदेश दिनांक 25.07.2020 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को चार बैचों में विभाजित किया गया, जिनका प्रशिक्षण अलग-अलग तिथियों पर तथा अलग-अलग अवधि के लिए निर्धारित किया गया। प्रथम बैच का प्रशिक्षण अगस्त, 2020 में छह माह के लिए प्रारम्भ हुआ, द्वितीय बैच मार्च, 2021 में, तृतीय बैच अक्टूबर, 2021 में तथा चतुर्थ बैच मई, 2022 में प्रारम्भ हुआ, प्रत्येक की अवधि छह माह रही।

7. विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनुसार राज्य को यह अधिकार प्राप्त था कि वह विभिन्न बैचों के अभ्यर्थियों के लिए भिन्न-भिन्न समय पर प्रशिक्षण निर्धारित करे तथा इस आधार पर भिन्न वेतन संरचना निर्धारित करे। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चयन सूची को सभी प्रयोजनों के लिए एक समरूप वर्ग नहीं माना जा सकता तथा राज्य प्रथम बैच को अन्य तीन बैचों से पृथक वर्ग के रूप में मानने हेतु विधिसम्मत रूप से अधिकारित है, क्योंकि प्रथम बैच ने अन्य बैचों से पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था।

8. यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रथम बैच, जिसने जनवरी, 2021 में प्रशिक्षण पूर्ण किया, को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। विद्वान अपर महाधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि विभिन्न बैचों में विभाजित अभ्यर्थियों के मध्य किया गया यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्वीकार्य है,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अतः राज्य को यह अधिकार है कि वह विभिन्न समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चारों बैचों के लिए पृथक वेतन संरचना निर्धारित करे।

9. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर भरोसा किया है, जिसे सुविधा हेतु निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

नियम 19 - प्रशिक्षण

(1) (क) नियम 15 एवं 16 के अंतर्गत आरक्षी के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मैनुअल के प्रावधान कैंडेट्स पर प्रभावी रहेंगे। यदि बुनियादी प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है, तो उसका चयन/उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(ख) बुनियादी प्रशिक्षण में असफल कैंडेट्स का पुनः परीक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा अनुपूरक प्रशिक्षण के पश्चात आयोजित किया जाएगा। अनुपूरक प्रशिक्षण के पश्चात भी प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 17 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों को भी विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक होगा।

10. विद्वान अपर महाधिवक्ता का कथन है कि आरक्षी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा इसके अभाव में उनका चयन निरस्त किया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया है कि नियमावली विभाग को अनुपूरक प्रशिक्षण एवं पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा असफल अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। इसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है, अतः प्रशिक्षण पूर्ण होने तक राज्य को वेतन संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इस चरण पर चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जा सकती।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी 2018 में प्रारम्भ की गई भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सिविल पुलिस एवं पीएससी में आरक्षी पदों हेतु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चयनित हुए थे तथा मार्च 2020 में घोषित परिणाम में उन्हें पूर्व सैनिक श्रेणी में विधिवत स्थान प्राप्त हुआ था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 23.12.2020 का सरकारी आदेश, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि उक्त तिथि के पश्चात नियुक्त सभी अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेषतः जब सभी अभ्यर्थी एक ही चयन सूची में सम्मिलित हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम चरण में नियुक्त अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है, जिसे राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है।

12. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 2024 एस.सी. 4404 पर भी भरोसा किया गया है तथा यह निवेदन किया गया है कि एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थी एक समरूप वर्ग का गठन करते हैं तथा इस वर्ग के भीतर किसी प्रकार का भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट-ए संख्या 55606 वर्ष 2008) (निर्णय दिनांक 19.12.2019) पर भी निर्भरता व्यक्त की है। उक्त निर्णयों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भिन्न व्यवहार केवल तभी न्यायसंगत हो सकता है जब उसके लिए कोई युक्तियुक्त आधार विद्यमान हो, जो वर्तमान प्रकरण में अनुपस्थित है।

13. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा नियम 19 के आधार पर दिए गए तर्क का प्रत्युत्तर देते हुए यह भी निवेदन किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियों के लिए केवल एक प्रक्रिया का चरण है तथा चयन सूची के प्रकाशन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रेषण के पश्चात चयन प्रक्रिया की कोई स्वतंत्र अवस्था शेष नहीं रहती। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के नियम 18 पर भी भरोसा किया है, जिसे निम्नवत् उद्धृत किया गया है:-

नियम 18 - नियुक्ति

(1) नियम 15 एवं 16 के प्रावधानों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची में अभ्यर्थियों के क्रम के अनुसार नियुक्ति करेगा तथा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जिसमें यह निर्देश होगा कि वे एक माह के भीतर अथवा निर्धारित तिथि तक सेवा/प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों, अन्यथा उनकी नियुक्ति/चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(2) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो एक समेकित आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों के नाम चयन में निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार अंकित होंगे।

14. उक्त प्रावधानों पर निर्भर करते हुए प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नियम 18 के अनुसार नियुक्ति पत्र का निर्गमन प्रशिक्षण से पूर्व होता है तथा तत्पश्चात ही नियम 19 के अंतर्गत प्रशिक्षण कराया जाता है। अतः नियमावली की योजना से यह स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पूर्व जारी होता है और इस कारण प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का भाग नहीं माना जा सकता, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही रूप से अभिनिर्धारित किया गया है।

15. इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं/राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष भी सम्मिलित हैं। कुछ मूलभूत तथ्य विवादित नहीं हैं कि सभी अभ्यर्थी, चाहे उन्हें प्रशिक्षण हेतु किसी भी बैच में भेजा गया हो, अक्टूबर 2018 की एक ही भर्ती विज्ञप्ति के अंतर्गत चयनित हुए थे। चयन सूची समान थी, चयन प्रक्रिया एकरूप थी तथा नियुक्तियाँ उसी भर्ती प्रक्रिया से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थीं।

16. अभिलेखों के साधारण अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सभी नियुक्ति पत्र उसी अक्टूबर 2018 की सीधी भर्ती के अंतर्गत जारी हुए थे, जो एक ही विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुए थे। यह भी किसी पक्ष का कथन नहीं है कि चयन सूची में किसी प्रकार का वर्गीकरण या श्रेणीवार विभाजन विज्ञापन में पूर्व से निर्धारित था। इसके अतिरिक्त, राज्य यह प्रदर्शित करने में असफल रहा है कि प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को चार पृथक चरणों में विभाजित करना किसी युक्तियुक्त वर्गीकरण पर आधारित था।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण का आयोजन केवल अपीलार्थी राज्य द्वारा सामना की गई अवसंरचनात्मक सीमाओं तथा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की अनिवार्यता के कारण किया गया था, न कि चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य किसी युक्तियुक्त भिन्नता के आधार पर। अतः बाद के बैचों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण से वंचित करना पूर्णतः मनमाना है तथा यह वैमनस्यपूर्ण भेदभाव के दोष से ग्रस्त है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का मूल आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था स्वयं ही चार पृथक श्रेणियों का निर्माण करती है, जिससे राज्य को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह भिन्न वेतन संरचना निर्धारित करे तथा बाद के बैचों में सम्मिलित प्रत्यर्थियों को वेतन संरक्षण से वंचित रखे।

19. यद्यपि यह न्यायालय महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों तथा अवसंरचनात्मक सीमाओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तथापि ऐसे बाह्य एवं अस्थायी प्रशासनिक कारण किसी समरूप वर्ग के अभ्यर्थियों के मध्य भेदभाव को उचित नहीं ठहरा सकते। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुमेय वर्गीकरण का विधिक सिद्धांत अत्यंत स्थापित है और उन मानकों पर परीक्षण करने पर अपीलार्थी राज्य द्वारा प्रस्तुत औचित्य टिकने योग्य नहीं है।

20. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एस.सी.सी. 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित अथवा अनिर्धारित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता की कसौटी पर खरा उतरने हेतु वर्गीकरण का आधार एक युक्तियुक्त भिन्नता होना आवश्यक है, जिसका उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अन्यथा ऐसा वर्गीकरण मनमाने भेदभाव का परिणाम होता है, जिसे संविधान स्वीकार नहीं करता।

21. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1990) 2 एस.सी.सी. 715 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि एक ही भर्ती अधिसूचना एवं चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सेवा लाभों के प्रयोजन हेतु एक ही समरूप वर्ग का निर्माण करते हैं। वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जब किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति नियमों के अनुसार हो जाती है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से ही मानी जाएगी, न कि पुष्टि की तिथि से। उक्त सिद्धांत को लागू करते हुए प्रशिक्षण की पूर्णता को एक पृथक वर्ग निर्माण का आधार नहीं माना जा सकता।

22. अपीलार्थीगण द्वारा किसी भी ऐसे वैधानिक नियम की ओर संकेत नहीं किया गया है जो चयन सूची के भीतर उप-वर्ग बनाने हेतु राज्य को वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण के प्रयोजन से अधिकार प्रदान करता हो। वास्तव में राज्य का स्वयं का कथन है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रशासनिक अनिवार्यता के कारण किया गया। केवल प्रशासनिक आवश्यकता, चाहे वह सद्भावनापूर्ण ही क्यों न हो, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संवैधानिक रूप से अनुमेय भिन्नता का आधार नहीं बन सकती। ऐसी स्थिति को स्वीकार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करना राज्य को मनमाने एवं आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समान अधिकारों को विभाजित करने की अनुमति देगा, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकार किया गया है।

23. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष सही रूप से निकाला गया है कि प्रत्यर्थागण तथा समान स्थिति में स्थित अन्य अभ्यर्थियों, जिन्हें अक्टूबर 2018 की समान भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित किया गया था, को प्रथम बैच के अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए वेतन संरक्षण एवं सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक मानकों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने पर इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती।

24. उपरोक्त कारणों से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलार्थी राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य केवल प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने की तिथियों के आधार पर किया गया विभेद अनुच्छेद 14 के अंतर्गत असंवैधानिक एवं अनुमेय वर्गीकरण नहीं है।

25. राज्य द्वारा प्रथम बैच को प्रदान किया गया वेतन संरक्षण तथा संबंधित वेतन संरचना, उसी भर्ती प्रक्रिया एवं चयन सूची में सम्मिलित द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बैच के अभ्यर्थियों से वंचित नहीं की जा सकती।

26. अतः इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता। तदनुसार विशेष अपीलों का यह समूह असफल होता है एवं निरस्त किया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थियों एवं समान रूप से स्थित अन्य अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण एवं परिणामी लाभ प्रदान करने के निर्देश की पुष्टि की जाती है। राज्य को आदेश की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। कोई आदेश व्यय के संबंध में नहीं।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निस्तारित किए जाते हैं।

9. तदनुसार, दिनांक 03.05.2023 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है तथा मामला उपरोक्त निर्णय के आलोक में पुनः सक्षम प्राधिकारी को दो माह की अवधि के भीतर नवीन आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

दिनांक: 18 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“Translated, corrected and authenticated by me-PC Shukla”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(Advocate) A.O.R.-A/P-0317/12

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”